

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर**

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)


दावा संख्या 168/2020

1. पाला... दत्तक पुत्र घीसाराम जाति बलाई निवासी सिंहासन तहसील व जिला सीकर

-वादी-


बनाम

1. किशोर कुमार
2. पप्पूराम पुत्रगण नाथूराम
3. बाली देवी पत्नि नाथूराम
4. ममतादेवी
5. सुनीता देवी पुत्रियां नाथूराम
6. जुगली पत्नि किशना
7. किरण पत्नि शेराराम
8. जयचन्द पुत्र सुरजा
9. झुमली पत्नि घडरसी
10. दुर्गाप्रसाद
11. मदनलाल
12. रामलाल
13. सरवण पुत्रगण बौदू
14. बन्ना पत्न छोदू
15. मनोहरलाल
16. मोतीलाल पुत्रगण भारानाम समस्त जाति बलाई निवासीगण सिंहासन तहसील व जिला सीकर
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर

  
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा 188, 53 रा.का.अ.

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1299 दिनांक 07.12.2021 के अनुसार वकील वादी की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


  
(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर  
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

**वाद के खर्चे**

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़	41.00	जोड़
		36.00

आज तारीख 15.9.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
उपखण्ड अधिकारी सीकर  
उपखण्ड अधिकारी- सीकर